DTE

कोरोना वायरस (COVID-19) पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के दौरान DTE एनर्जी की सहायता योजना और कार्यक्रम

DTE एनर्जी की पहली प्राथमिकता है हमारे कर्मचारियों और ग्राहकों का स्वास्थ्य और सुरक्षा। हम हर दिन, पूरा प्रयास करके यह सुनिश्चित करते हैं कि अपने 30 लाख से भी ज्यादा ग्राहकों तक बिजली पहुंच सके। हमारे लाखों ग्राहकों को बिना रुकावट बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कभी-कभी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में हमारे यहां ऐसी प्रमाणित प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से ज़रूरत पड़ने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

कोरोना वायरस की विश्वव्यापी महामारी के खतरे को देखते हुए हम हाई अलर्ट पर हैं ताकि अपने उन ग्राहकों की मदद कर सकें, जिनका जीवन इस बीमारी के कारण प्रभावित हो रहा है। नतीजतन, हम कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे इस मुश्किल वक्त में हमारे हर ग्राहक को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

निम्न आय वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों संबंधी योजना का विस्तार

- हमने निम्न आय वर्ग (200% या संघीय गरीबी स्तर से कम) और वरिष्ठ नागरिकों (62 वर्ष या उससे अधिक) के लिए अपने शट ऑफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली कवरेज योजना का विस्तार किया है। ध्यान दें - हमारे विंटर प्रोटेक्शन प्रोग्राम में सभी वरिष्ठ नागरिक (62 वर्ष या इससे अधिक आयु के) शामिल हैं, बशर्ते जब तक वे किसी अन्य भुगतान विकल्प का चुनाव नहीं करते. ज्यादा जानकारी प्राप्त करें http://dteenergy.com/covid19 पर।

कोविड-19 पर्सनलाइज़्ड सर्विस प्रोटेक्शन प्रोग्राम

- DTE, कोविड-19 की वजह से आय का स्त्रोत गंवाने वाले या किसी मेडिकल समस्या से ग्रसित किसी भी ग्राहक की मदद को तत्पर है. प्रभावित ग्राहक तुरंत हमसे 800.477.4747 पर संपर्क करें. हम उनके लिए एक व्यक्तिगत भुगतान योजना तैयार करेंगे ताकि उन्हें निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई जारी रहे.

निम्न आय वर्ग ग्राहकों के लिए अतिरिक्त सहायता- लो इन्कम सेल्फ सफिसिएंशी प्लान (LSP)

- निम्न आय वर्ग ये आने वाले ग्राहक पहल यह जान लें कि क्या वे अपने बिजली बिल के कुछ हिस्से या सर्विस दोबारा शुरु करवाने संबंधी स्टेट इमरजेंसी रिलीफ (SER) योजना के तहत

पात्रता रखते हैं. आवेदन प्रक्रिया शुरु करने के लिए हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस ऑफिस के स्थानीय विभाग से संपर्क करें अथवा http://www.michigan.gov/mibridges पर विज़िट करें।

- अगर हमारा SER आवेदन को भरने में ग्राहकों को किसी प्रकार की असुविधा हो रही हो तो इसके लिए सहायता उपलब्ध है। कॉल करें 211 पर या विज़िट करें http://www.211.org पर ताकि आपको एक ऐसी एजेंसी से कनेक्ट किया जा सके जो आपकी इस प्रक्रिया में मदद कर सके। साथ ही खाना, बच्चों की देखभाल और अन्य दूसरी ज़रूरतों के संबंध में भी आप इसकी मदद ले सकते हैं।